समिति व्यथित महिला की पहचान उजागर नहीं करेगी और उसकी गोपनीयता का पूरी तरह से पालन करेगी।

मिथ्या शिकायत करने पर सेवा नियमों के तहत समिति शिकायतकर्ता को दंडित कर सकती है।

समिति द्वारा किसी भी प्रकरण की जांच करके 45 दिवस के भीतर एक प्रतिवेदन संबंधित विभाग या नियोक्ता को प्रेषित किया जाएगा जिसमें सम्पूर्ण विवरण के साथ ही अग्रिम कार्यवाही के निर्देश भी होंगे।

नियोक्ता की जिम्मेदारी

कानून के तहत प्रत्येक नियोक्ता/कार्यालय की जिम्मेदारी है कि वह -

- ☑ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए आंतरिक परिवाद समिति का गठन करें ।
- ☑ समिति के सदस्यों के नाम, पद, सम्पर्क सूत्र, कार्यालय के दृश्यमान स्थल पर प्रदर्शित करें।
- ☑ कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए संवेदनशील वातावरण का निर्माण करने हेतु प्रशिक्षण, कार्यशाला इत्यादि आयोजित करें और उपलब्ध प्रावधानों से कार्मिकों को अवगत कराएं। किसी की शिकायत पर समिति के अन्तिम निर्णय की अनुपालना करावें।
- ☑ यदि किसी संगठित क्षेत्र के कार्यस्थल पर 10 से ज्यादा कार्मिक हैं और नियोक्ता आंतरिक परिवाद समिति का गठन नहीं करता है तो उसे कानून की अनुपालना नहीं करने पर दंडित किया जाएगा।

अपील का अधिकार

कोई भी पक्ष यदि समिति की कार्यवाही या निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह अपील का रखता है और न्यायालय में अपील कर सकता/सकती है।

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति (आर.वी.जे.वी.वी.एस.), पी.एम.यू., आर.एफ.बी.डी.पी.
अरावली भवन, झालाना इंस्टिट्यूशनल एरिया, जयपुर 302004, राजस्थान
0141-2709101 : rfbdp.afd@gmail.com

Government of Rajasthan
Forest Department

RFBDP

In partnership with
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AFD AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न

(निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष)

अधिनियम, 2013

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न से सुरक्षा तथा उनके लिए एक गरिमापूर्ण कार्यस्थल उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार द्वारा 9 दिसम्बर, 2013 को पारित किया गया।

कार्यस्थल

समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान, कार्यालय, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, कार्यस्थल के अन्तर्गत आते हैं।

उन कार्यालयों को असंगठित क्षेत्र में माना गया है जहां 10 या उससे अधिक कार्मिक वस्तुओं के उत्पादन एवं सेवाओं में संलग्न है।

यौन उत्पीड़न

कानून के तहत निम्न व्यवहार को यौन उत्पीड़न में सम्मिलित किया गया है

- शारीरिक सम्पर्क या छूने का प्रयास करना।
- अभद्र इशारे, अभद्र भाषा, गाली, अभद्र चुटकुले।
- यौनिकता से सम्बन्धित बातें करना, पोर्न वीडियो दिखाना या मोबाइल पर भेजना।

यौन संलिम्पता की मांग करना और इसके बदले तरक्की का लालच देना।

अन्य किसी प्रकार का शाब्दिक या शारीरिक व्यवहार जो महिला को असहज लगे।

नौकरी या रोजगार में नुकसान के खतरे की धमकी देकर यौन कार्य की मांग करना।

कार्यों में बाधा उत्पन्न करना एवं महिला की छवि धूमिल करना।

कार्मिक

किसी भी व्यक्ति को कार्मिक माना गया है जो स्थाई, अस्थाई, दैनिक वेतन पर, ठेकेदार या एजेंट के माध्यम से कार्य करने जाती है। इसमें प्रशिक्षु, संविदा कर्मी, स्वयंसेवी भी सम्मिलित है।

व्यथित महिला

वह महिला जिसका कार्यस्थल पर यौन शौषण हुआ है वह व्यथित महिला की श्रेणी में आती है। यदि कोई महिला निजी कार्य से किसी कार्यालय में जाती है और उसके साथ वहां यौन उत्पीड़न होता है तो वह व्यथित महिला मानी जाएगी और उसे शिकायत का अधिकार होगा।

शिकायत का तरीका एवं स्थान

व्यथित महिला अपनी शिकायत घटना के एक माह के भीतर लिखित/मौखिक/डाक से/ऑनलाइन पोर्टल पर कर सकती है। शिकायत निम्न समितियों या व्यक्तियों से की जा सकती है-

- जिला स्तर पर गठित स्थानीय शिकायत समिति
- उपखण्ड स्तरीय महिला समाधान समिति
- जिला स्तरीय महिला समाधान समिति
- संरक्षण अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग
- नियोक्ता आंतरिक परिवाद समिति

शिकायत के साथ साक्ष्य, गवाह या अन्य सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध कराएं ।

प्रकरण/ शिकायत की समाधान प्रक्रिया

- समिति शिकायत प्राप्त होने के पश्चात दोनों पक्षों के साथ परामर्श करके सुलह का प्रयास करेगी लेकिन इसमें व्यथित महिला की सहमति अनिवार्य है।
- सुलह की प्रक्रिया लिखित में की जाएगी। सुलह नहीं होने की स्थिति में शिकायत की जांच की जाएगी।
- आरोपी के दोषी पाये जाने पर समिति अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अस्थाई निलम्बन, लिखित माफीनामा, चेतावनी, या पुलिस कार्यवाही का निर्णय ले सकती है। इस निर्णय की अनुपालना करवाना नियोक्ता/विभाग की जिम्मेदारी है।